रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3164] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940
No. 3164] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ. 3960(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मध्य प्रदेश भूसम्पदा विनियामक प्राधिकरण जोकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित निकाय है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(क) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण शुल्क;

(ख) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन शुल्क;

(ग) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माना;

(घ) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त विलिम्ब शुल्क एवं समझौता शुल्क;

(ङ) सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;

(च) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के खंड 75(1)(ग) के अनुसार उपर्युक्त राशि पर अर्जित बयाज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'मध्य प्रदेश भूसम्पदा विनियामक प्राधिकरण'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 39/2018/फा. सं. 300196/31/2017-आईटीए-I)]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।